राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - . NCBC/DO/2019/78-VC

सुनवाई की तिथि – 16/07/2020

***

श्री दयाराम प्रजापति, पूर्व एम.एल.सी., अरबिंद पुल, रेलवे रोड, थाना कोतवाली, शहर व जनपद इटावा के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 16.07.2020 समय 11:00 बजे सुनवाई नियत की गयी |

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित व्यक्ति :-

1. प्रमुख सचिव, गृह
2. पुलिस महानिदेशक, लखनऊ
3. पुलिस अपर महानिदेशक, आगरा जोन
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा
5. शिकायतकर्ता

उपस्थित पक्षगण :-

1. श्री दयाराम प्रजापति

उपस्थित जांच के सम्बन्ध में अपेक्षित अधिकारी अथवा अपेक्षित अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी:-

1. श्री उदय राज सिंह, क्षेत्राधिकारी छत्ता
2. श्री रज्जन बाबु, उपनिरीक्षक

संलग्न :-

1. श्री दयाराम प्रजापति द्वारा प्रेषित विवरण सहित शिकायत पत्र |
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित जाँच आख्या |

सुनवाई / जाँच का विवरण :-

आवेदक श्री दयाराम प्रजापति द्वारा लगाये गए आरोप:-

संदर्भित प्रकरण में आवेदक श्री दयाराम प्रजापति द्वारा, प्रतिपक्षिगण पर जमीन बैंक से बंधक होने के उपरांत उसको छिपाते हुए धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री बैनामा करने आदि के आरोप अंकित किये तथा न्याय दिलाने की अपाल की |

<u>श्री उदय राज सिंह, क्षेत्राधिकारी छत्ता एवं श्री रज्जन बाबु, उपनिरीक्षक द्वारा :-</u>

उक्त प्रकरण में माननीय आयोग द्वारा अपेक्षित जाँच के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी छत्ता द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि संदर्भित प्रकरण में जाँच की गयी, विवेचना के दौरान बयान गवाहन, बयान वादी तथा निरिक्षण घटना स्थल किया गया | दिनांक 08.06.2020 को विवेचक द्वारा तहसील एत्मादपुर से विक्रय पत्रों कि प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कि गयी तथा बैंक प्रबंधक श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव से लोन के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान अंकित कर, बंधक बैनामो, बंधक प्रपत्र एवं लोन सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति की गई | साक्ष्य संकलन एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कर दिनांक 06.07.2020 को मुकदमा उपरोक्त में विवेचक द्वारा धारा 406/467/468/471/120बी भादवि की वृद्धि कि गयी | श्री उदय राज सिंह, क्षेत्राधिकारी छत्ता द्वारा माननीय आयोग को एक सप्ताह में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लेने का आश्वासन देते हुए विवेचना के निस्तारण कर देने सम्बन्धी अवगत कराया गया |

<u>तथ्य एवं निष्कर्ष:-</u>

उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा किये गए कार्य को माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशंसनीय बताया | तदोपरांत अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी कर माननीय आयोग को अवगत कराने हेतु अपेक्षित किया गया | माननीय आयोग को आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण को निस्तारित कर देने हेतु निर्देशित किया गया |

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति) 30-7-2020
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

जे. रविशंकर

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

Sandeep Kumar

(संदीप कुमार)
निजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग